



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-244947
CG-DL-E-06042023-244947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1536]

No. 1536]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली अप्रैल 3, 2023

का.आ. 1614(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1584(अ) दिनांक 04 अप्रैल 2022, जो भारत के राजपत्र संख्या 1523, दिनांक 04 अप्रैल 2022 असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में एनएच-49 एक्सटेंशन (नया एनएच -85) के किमी. 6.6 से 10.4 तक अचमपथु, विराटिपथु बाईपास का निर्माण तक के भूखण्ड पर निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26 अप्रैल 2022" को "दिनामणि" और "ट्रिनिटी मिरर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में एनएच-49 एक्सटेंशन (नया एनएच -85) के किमी 6.6 से 10.4 तक अचमपथु, विराटिपथु बाईपास का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: मदुरै			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मदुरै वेस्ट				
	गांव का नाम: एरकुडी				
1	56/7	निजी	वेट लैंड	0.0468	ईश्वरमूर्ति ()
	गांव का नाम: वीलचेरी (CT)				
2	126/14	निजी	ड्राई लैंड	0.0081	करुणाकरण ()
			कुल	0.0549	

[फा. सं. RW-MD/TN/NH-49Extn/13/2010-11/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2023

S.O. 1614(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O NO 1584 Dated 4th April 2022 , published in the Gazette of India No 1523 Dated 4th April 2022, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway

Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Atchampathu, Viratipathu Bypass from Km. 6.6 to Km. 10.4 of NH49 Extn(New NH-85) in the district of MADURAI in the state of TAMIL NADU;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dinamani**” and “**Trinity Mirror**” both dated 26 April 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling for construction of Atchampathu, Viratipathu Bypass from Km. 6.6 to Km. 10.4 of NH49 Extn(New NH-85) in the district of MADURAI in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU			District: MADURAI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: MADURAI WEST				
	Village: Erkudi				
1	56/7	Private	Wet Land	0.0468	Eswaramoorthy
	Village: Vilacheri (CT)				
2	126/14	Private	Dry Land	0.0081	Karunakaran
			TOTAL	0.0549	

[F. No. RW-MD/TN/NH-49Extn/13/2010-11/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.